रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 1, 1987/पौष 11, 1908
No. 1] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 1, 1987/PAUSA 11, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1987

अधिसूचना

का. आ 1 (अ) :– केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निदेश देती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट किस्मों के किसी पशु चारे की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2)

के खंड (घ) तथा (च) के अधीन आदेश करने की शक्ति का प्रयोग, मध्य प्रदेश राज्य में उसकी सरकार द्वारा भी किया जा सकेगा ।

2. यह आदेश भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रारंभ और 30 जून, 1987 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा ।

अनुसूची

पशु चारे की किस्में

1. कड़वी (ज्वार की डंठल)

2. पैरा (धान की डंठल)

3. गेहूं का भूसा

4. घास तथा सब्जियों द्वारा उपयोग की जाने वाली चारे की अन्य किस्में ।

[सं. 32-6/79-एस.डी.-2]

बी. बी. महाजन, अपर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

New Delhi, the 1st January, 1987

NOTIFICATION

S.O. 1(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby directs that the powers to make Orders under clauses (d) and (f) of sub-section (2) of Section 3 of the said Act, shall, in relation to the Cattle Fodder of any of the varieties specified in the Schedule hereto annexed, be exercisable also by the Government of the State of Madhya Pradesh in that State.

2. This order shall remain in force for the period commencing from the date of its publication in the Gazette of India and ending with 30th June, 1987.

The Schedule

Varieties of Cattle Fodder

1. Kadbi (Jowar Stems).
2. Paira (Paddy Stems).
3. Wheat Bhusa.
4. Grass and other varieties of fodder-consumed by cattle.

[No. 32-6/79-LD.II]

B. B. MAHAJAN, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1986